तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर अपील नं. 117/2021 किस्म 225 आर.टी.एक्ट. बअनवान हंजारीमल वगै. बनाम रूपाराम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

06.04.2022

पीठासीन अधिकारीः— श्री अरविन्द कुमार जाखड़ आर.ए.एस.

उपस्थितिः— श्री राणाराम गौड़ अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
श्री कैलाश पुरी अधिवक्ता रेसपोडेंट संख्या 05 से 07 की ओर से
श्री दिक्षीत बोथरा रेस्पोडेंट संख्या 01,02 व 08 से 14 की ओर से

निर्णय

दिनांकः—06.04.2022

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 20/2017 बअनवान रूपाराम वगै. बनाम हंजारीमल वगै. में पारित आदेश दिनांक 24.09.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हुआ जिसमें प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1252 व 1255 रकबा 03.10 बीघा व 3.14 बीघा भूमि मौजा सिवाना तहसील सिवाना में अवस्थित है उपरोक्त खसरों में से आवागमन हेतु रास्ता बदिशा उतर में स्थित विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1253, 1245 व 1246 के माठ से होते हुए आगे राजस्व कटाण सडक मार्ग तक जाता है उक्त रास्ता एक मात्र विकल्प है जो प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों में आवागमन हेतु नजदीक एवं सुलभ रास्ता है प्रार्थीगण ने अपने आवेदन पत्र में सलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बरंग लाल से दर्शाया है प्रार्थीगण कृषि हेतु इसी रास्ते से होकर सडक मार्ग तक आवागमन करता है इसके अतिरिक्त इसके पास इस हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। हस्तगत आवेदन को दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलांटगण/विप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जबाव पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांटगण द्वारा पेश जबाव पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2021 पारित किया है जिसमें कानूनी व वाक्याती भूल की है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो रास्ता प्रस्तावित किया गया उसमें अपीलांटगण का आवासीय मकान आ रहा है। वास्तव में उतरदाता संख्या 01 से 16 पूर्व में खसरा नम्बर 1255 व 1256 के सेढे होतु हुए 1254 के

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

मेढ़ होते हुए 1262 के मेढ़े से होकर सड़क से आवागमन करते है तथा खसरा संख्या 1254 के उत्तरी मेढ़े पर रास्ता विद्यमान है जो खसरा नम्बर 1254 तक निरन्तर एवं निर्बाध रूप से चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 01, 02 व 08 से 14 ने बहस में निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण जिस रास्ते से आवागमन करते है वह रास्ता खसरा नम्बर 1244 के मेढ़े से होते हुए खसरा नम्बर 1245 के पूर्वी माट से होते हुए खसरा नम्बर 1254 की माट से होते हुए खसरा नम्बर 1252 व 1255 तक जाता था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विद्यमान रास्ते को छोड़ अन्यत्र रास्ता बिन्दु सी से डी के मध्य स्वीकृत किया है जो गलत रूप से किया है। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या01, 02 व 08 से 14 के अधिवक्ता ने लोक अदालत की भावना से अपनी तरफ से प्रस्तावित रास्ता परिशिष्ट "अ" पेश कर उसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने पर सहमति जाहिर की। जिस पर अपीलांट अधिवक्ता ने भी सहमति जाहिर की गई। अतः रेस्पोंडेंट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोंडेंट संख्या 05 से 07 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांटगण की नियत रेस्पोंडेंटस को जो विधिक अधिकार से मिले रास्ते से वंचित करने की है अन्यथा अपील में पेश किये प्रस्ताव को वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उस समय भी पेश कर सकते थे। अपीलांटगण येन-केन प्रकारेण प्रकरण को लंबा करना चाहते है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि करीब 05 दिन पूर्व अपीलकर्ता अपने अधिवक्ता से प्रकरण की जानकारी लेने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में गया तब अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि कोविड महामारी के कारण काफी समय कोर्ट बन्द रहे है इसलिए आपकी पेशी तारीख नोट नहीं की है अभी पता कर नोट कर देते है तब अपीलकर्ता अपने अधिवक्ता के साथ मिलकर न्यायालय में जाकर रीडर से पूछा तब उनके द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 24.08.2021 को निर्णित होने का कथन किया जिस अपीलकर्ता द्वारा उसी दिन प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो उसी दिन अपीलकर्ता को नकल प्राप्त हुई तब सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की

जानकारी हुई तथा वास्तविक जानकारी तिथि से अपील अन्दर मियाद पेश की गई। अपील पेश करने मे हुई देरी सदभाविक है। अतः अपीलांट की अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित की गई है फिर भी अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं होने का तथ्य सरासर गलत एवं झूठा है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का **उचित व युक्तियुक्त कारण नहीं दर्शाया गया है** जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अपील पेश करने में हुऐ विलंब के बारे में मनगढत व झूठे तथ्य अंकित किये है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर निस्तारण करने की बजाय गुणावगुणव पर किया जाना न्यायोचित है। कोविड–19 को ध्यान में रखते हुए अपीलांट को अपील के गुणावगुण पर निस्तारण का अवसर दिया जाना न्यायसंगत है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया है जिससे अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया प्रतीत होता है। मौका फर्द दिनांक 11.10.2019 में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में खसरा संख्या 1251, 1252, 1255 में आवागमन हेतु रास्ता 1249 एवं 1253 में से उपयोग में आ रहा है खसरा संख्या 1248 एवं 1249 में आवासीय मकान होने से उक्त रास्ता मौके पर आधी दूरी तक उपलब्ध है। खसरा संख्या 1248, 1249, 1245 में सरहद पर आवासीय मकान होने से उक्त रास्ता प्राथीगण को संलग्न नक्शा में दर्शायेगये बिन्दू संख्या सी से डी खसरा संख्या 1245 एवं 1253 में (1245 एवं 1253 की पूर्वी माठ पर) दिया जाना उचित रहेगा। बिन्दु संख्या सी से डी तक दर्शायेगये प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

रास्ता राजस्व रेकर्ड में एवं मौके पर उपलब्ध रास्ते से निकटतम नहीं है उक्त रास्ता निकटतम है। दर्शायेगये रास्ते में वर्तमान में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं है। रेस्पोडेंट अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.03.2022 को एक आवेदन पेश कर मय नक्शा परिशिष्ट'अ' अनुसार रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया जबकि उसमें वर्णित खसरा संख्या 1244 व 1254 के खातेदार हस्तगत प्रकरण में पक्षकार भी नहीं है। प्रार्थी द्वारा हस्तगत आवेदन दिनांक 20.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दर्ज हुआ जिसको रास्ते के आत्यंतिक आवश्यकता है। इसलिए अपील के स्टेज पर इस तरह के आवेदन का कोई औचित्य नहीं है लिहाजा आवेदन दिनांक 31.03.2022 को खारिज किया जाता है। अपीलांट द्वारा ऐतराज पर ऐतराज पेश किया जा रहा है जिससे अपीलांट की रास्ता नहीं देने की नीयत साफ झलकती है। वह प्रस्तावित रास्ते में अवरोध पैदा करने की कार्यवाही में लिप्त है। अपीलांट की गैर कानूनी मांग स्वीकार्य नहीं हैं। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 20/2017 बअनवान रूपाराम वगै. बनाम हंजारीमल वगै. में पारित आदेश दिनांक 24.09.2021 को यथावत रखा जाता है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर